झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध)–22/2022 – 997

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/
जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/
जिला शिक्षा अधीक्षक/सिविल सर्जन
पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह।

राँची, दिनांकः– 4.12.2023

विषयः– **आयोग के पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह जिलों के भ्रमण के दौरान दिये गये निदेशों के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा दिनांक–19.09.2023 से दिनांक–23.09.2023 तक पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत् संचालित योजनाओं की सुनवाई/जनसुनवाई एवं इन जिलों के विभिन्न पंचायतों के मुखियागण के साथ संवाद किया गया। भ्रमण के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर कार्रवाई हेतु आपको निर्देश दिये गये हैं।

अतः आयोग के दिनांक–19.09.2023 से दिनांक–23.09.2023 के पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह जिला भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि आयोग के भ्रमण के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह।

विश्वासभाजन
4/12/23
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (विविध)–22/2022 – 997 राँची, दिनांकः– 4.12.2023

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर एवं गिरिडीह को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/23
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (विविध)–22/2022 – 997 राँची, दिनांकः– 4.12.2023

प्रतिलिपिः–सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/23
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।